

कार्यालय उपायुक्त, गुरुग्राम (लघु सचिवालय)
कार्यालय दूरभाष 0124-2321144, फ़ैक्स नं० 0124-2325500

आदेश उपायुक्त गुरुग्राम दिनांक 29-08-2019

श्रीमति नैना वशिष्ठ, सहायक जिला न्यायवादी (लीगल एडवाइजर) का स्थानान्तरण उपायुक्त कार्यालय गुरुग्राम से उपायुक्त फरीदाबाद व श्रीमति ललीता, रानी, उप-अधीक्षक कार्यालय उपायुक्त गुरुग्राम (सदस्य सचिव) का स्थानान्तरण उप-मण्डल अधिकारी(ना०) सोहना में हो गया है। अब कार्यालय द्वारा Internal Complaint Committee के दोनो रिक्त पदों को भरने के लिए श्री रोहित देसवाल, सहायक जिला न्यायवादी को लीगल एडवाइजर व श्रीमति विनोद कुमारी, उप-अधीक्षक को सदस्य सचिव नियुक्त करते हुए Internal Complaint Committee का संशोधन कर पुनः गठन निम्न प्रकार से किया जाता है:-

1. श्रीमति मनीषा शर्मा एच०सी०एस०, नगराधीश, गुरुग्राम। (अध्यक्ष)
2. श्री रोहित देसवाल, सहायक जिला न्यायवादी। (लीगल एडवाइजर)
3. श्रीमति विनोद कुमारी, उप-अधीक्षक कार्यालय उपायुक्त, गुरुग्राम। (सदस्य सचिव)
4. श्रीमति सुमित्रा सहायक, शाखा कार्यालय उपायुक्त, गुरुग्राम। (सदस्य)
5. श्रीमति सुषमा यादव, सहायक शाखा कार्यालय उपायुक्त, गुरुग्राम। (सदस्य)
6. Monalisa Mahanta H.No. 493, Sec-31, Gurugram. (POSHCA, Society for Prevention of Sexual Harassment & Child Abuse) -गैर सरकारी सदस्य

क्रमांक 1510 / ई.बी. दिनांक 31-10-19

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमति मनीषा शर्मा एच०सी०एस०, नगराधीश, गुरुग्राम। (अध्यक्ष)
2. श्री रोहित देसवाल, सहायक जिला न्यायवादी। (लीगल एडवाइजर)
3. श्रीमति विनोद कुमारी, उप-अधीक्षक कार्यालय उपायुक्त, गुरुग्राम। (सदस्य सचिव)
4. श्रीमति सुमित्रा सहायक, शाखा कार्यालय उपायुक्त, गुरुग्राम। (सदस्य)
5. श्रीमति सुषमा यादव, शाखा कार्यालय उपायुक्त, गुरुग्राम। (सदस्य)
6. Monalisa Mahanta H.No. 493, Sec-31, Gurugram. (POSHCA, Society for Prevention of Sexual Harassment & Child Abuse) -गैर सरकारी सदस्य

o/c

कृते: उपायुक्त, गुरुग्राम।